न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

नामा. अपील सं0 12/2019

श्रीकिशन पुत्र रामसहाय जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भंडाना तह0 दौसा –मृतक

1/1 सरजो देवी बेवा स्व. श्रीकिशन
1/2 राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्रीकिशन
1/3 नरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्रीकिशन
जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भंडाना तह0 दौसा जिला दौसा
1/4 अनीता देवी पुत्री श्रीकिशन पत्नि महेश कुमार शर्मा जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम जौंण तहसील दौसा
1/5 सुनीता पुत्री श्रीकिशन पत्नि विक्रम कुमार शर्मा जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी प्लॉट नंबर 53, भैरू मीना का बाग, आमेर रोड, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर
1/6 मदनलाल पुत्र स्व. श्रीकिशन

...अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा
2. रामावतार पुत्र रामसहाय
3. दीनदयाल पुत्र हरिप्रसाद
4. शिवगोपाल पुत्र हरिप्रसाद
5. मनभरी पत्नि हरिप्रसाद
6. भगवानसहाय पुत्र रामसहाय

..रेस्पों.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तरण सं0 828 दिनांक 14.3.2019 बाबत तस्दीक तहसीलदार दौसा

उपस्थितिः– 1. श्री नरेन्द्र कुमार तिवाडी, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री वरूण नागर, अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 2 से 5 की ओर से।
3. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 10.03.2025

1. संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तहसीलदार दौसा द्वारा पारित नामान्तरण सं0 828 दिनांक 14.3.2019 से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पों0 की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया।
3. अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि ग्राम जीरोता खुर्द में आराजी खसरा नंबर 25, 28, 26, 29, 30 से 33 व 46 रकबा 7.32है. भूमि स्थित है जिसकी खातेदारी अपीलांट व रेस्पों0 सं0 2 से 6 के नाम है परन्तु रेस्पों. सं0 2 से 6 द्वारा सहमति से विभाजन करा लि[illegible] सहमति विभाजन के आदेश के विरूद्ध तहसीलदार दौसा के आदेश के विरूद्ध एक अपील न्यायालय में अपीलांट ने प्रस्तुत कर रखी है जो विचाराधीन है उसमें तहसीलदार स्वयं भी पक्षकार है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने रेस्पोंडेन्ट से साज करके तकाजे के विरूद्ध अपील व [illegible] विचाराधीन होते हुए व तथ्यों को छिपाते हुए मिलीभगत कर नामान्तरण सं0 828 स्वीकृत कर दिया। उक्त सहमति के आधार पर नामान्तरण तस्दीक करा लिया जो बिल्कुल अवैधानिक है। अभी तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

न्यायालय श्रीमान को यह तय करना है कि सहमति विभाजन सही है या गलत है तथा कानूनन भी किसी भी संपत्ति के संबंध में वाद विचाराधीन है तथा अपीलांट द्वारा सहमति विभाजन को न्यायालय में चुनौती दे रखी है, इसके बावजूद भी तहसीलदार द्वारा उक्त गलत विभाजन के आधार पर नामान्तरण चुपचाप में ही तस्दीक कर दिया जो कानून के विरूद्ध है तथा नामान्तरण तस्दीक किये जाने से पूर्व अधीनस्थ तहसीलदार को अपीलांट को नोटिस दिया जाना चाहिए था उसके बाद ही नामान्तरण तस्दीक किया जाना चाहिए था। इन तमाम तथ्यों से स्पष्ट है कि उक्त नामान्तरण मिलीभगत कर व रेस्पों. से साज करके तस्दीक किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व आदेश खिलाफ कानून, नियम, उपनियम व पत्रावली तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट द्वारा सहमति तकास्मा आदेश दिनांक 29.6.2018 के विरूद्ध अपील न्यायालय श्रीमान में पूर्व से ही पेश कर रखी है तथा सहमति तकास्मा को सक्षम न्यायालय में चुनौती दे रखी है जिसमें तहसीलदार भी पक्षकार है जिसको संपूर्ण तथ्यों की जानकारी है इसके बावजूद भी तहसीलदार दौसा ने समस्त तथ्यों को जानते हुए भी उनको छुपाते हुए दिनांक 14.3.2019 को नामान्तरण तस्दीक किया है जो प्रारंभिक तौर पर ही खारिज योग्य है। नामान्तरण तस्दीक किये जाने से पूर्व अपीलांट जो कि भूमि का रिकार्डेड खातेदार है उसे कोई नोटिस नहीं दिया गया जबकि कानून का प्राकृतिक सिद्धान्त है कि पीडित पक्ष को नोटिस जारी कर उसे सुनवाई का अवसर देने के बाद ही नामान्तरण तस्दीक किया जाना चाहिए था परन्तु तहसीलदार ने अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया। कानून द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित कर रखा है कि किसी विवादित भूमि के संबंध में न्यायालय में कार्यवाही विचाराधीन है तो तहसीलदार को किसी प्रकार की कार्यवाही करने का व नामान्तरण तस्दीक किये जाने का कोई अधिकार नहीं है न ही ऐसी कोई कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा सकती है।परन्तु तहसीलदार ने सारे तथ्यों को छुपाते हुए नामान्तरण तस्दीक किया है जो निरस्तनीय है। अभी तो न्यायालय श्रीमानजी को यह तय करना है कि विभाजन सही है या गलत यह निर्णय करना है इससे पूर्व ही तहसीलदार ने सहमति विभाजन के आधार पर नामान्तरण तस्दीक कर दिया जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरण सं0 828 आदेश दिनांक 14.3.2019 जो कि तहसीलदार दौसा द्वारा पारित किया गया है को निरस्त फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांटस ने दौराने बहस अपीलांट्स व रेस्पों0 सं0 2 से 6 के मध्य राजीनामा होने बाबत राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामे के अनुसार मूल विभाजन की अपील में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से पूर्व के राजीनामा अनुसार भरे गये नामान्तरण को निरस्त किया जाकर राजीनामा अनुसार पुनः हो रहे विभाजन के अनुसार नामान्तरण अंकित कर दिया जावे।

4. राजकीय अधिवक्ता एवं अधिवक्ता रेस्पों. सं0 2 से 05 नें पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामे के अनुसार भूमि अंकित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।
5. हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पक्षकरान द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा का अवलोकन किया गया।
6. पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि तहसीलदार दौसा ने अपीलांट्स व रेस्पों. के मध्य आपसी सहमति से ग्राम जीरोता खुर्द स्थित आ[illegible] विभाजन स्वीकार किया गया था जिसमें खसरा नंबर 25, 26, 28 से [illegible] सं0 828 तहसीलदार दौसा ने तस्दीक किया गया था। चूंकि अब दोनों पक्षकारान के मध्य राजीनामा अनुसार नामान्तरण सं0 828 को निरस्त किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है। हम अपील अपीलांट राजीनामा अनुसार आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य समझते है।
7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। तहसीलदार दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.3.2019 जो नामान्तरण सं0 828 पर पारित

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर,दौसा

किया गया है, को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार दौसा को प्रकरण इस आशय से रिमांड किया जाता है कि पक्षकारान द्वारा उठाई गई आपत्तियों को मध्यनजर रखते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख एवं राजीनामा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार दौसा को प्रेषित की जावे। पक्षकारान दिनांक 24.3.2025 को तहसीलदार दौसा के समक्ष वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 10 मार्च, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील नियत समयावधि के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested